BY SPEED POST

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

No. 16/54/2015 M.VI

New Delhi, the 23rd March, 2015

To

Shri Pankaj Aggarwal,
Opposite Pratap Tokage, Bhilwara,
Rajasthan – 3110001.

Sub: - Appeal filed by Shri Pankaj Aggarwal.

Sir,

Please refer to your RTI appeal dated 02.03.2015.

2. I have carefully considered the entire matter in the light of the provisions of RTI Act, 2005.

3. The information in reply to your RTI application dated 21.1.2015 has been provided to you by the CPIO on 25.02.2015.

4. As per DOPT O.M.No.1/7/2009-IR dated 1.6.2009 (copy enclosed) only information held by the CPIO is to be provided.

5. In view of the above, I am satisfied with the reply given by the CPIO vide his letter number 16/1/2014-M.VI dated 25.2.2015. Your appeal dated 02.03.2015 is hereby disposed of.

6. In case you are aggrieved against the order, you can file second appeal in the Central Information Commission, 'B' Wing, 2nd Floor, August Kranti Bhavan, Bhikaji Cama Place, New Delhi within 90 days from the date of issue of this letter.

Yours faithfully,

Encl: DoPT's O.M. dated 1.6.2009 (1 page)

(Rokhum Lalremruata)
Director and Appellate Authority

Copy to:-

PI Cell, Ministry of Mines w.r.t. their U.O. No. 2/48/2015-P.I. dated 02.03.2015.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

नियत तिथि/Due date – 10.4.2015

TIME BOUND/RTI MATTER

खान मंत्रालय

शास्त्री भवन : नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन ।

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ पंकज अग्रवाल, भीलवाड़ा से प्राप्त मूल आवेदन दिनांक 9.3.2015 को इस पत्र के साथ उचित कार्यवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार यदि मांगी गई सूचना का विषय अन्य सरकारी कार्यालय से जुड़ा/सम्बध्द है तो वह अधिकारी, जिसको आवेदन भेजा गया है, ऐसे आवेदन को संबंधित सरकारी अधिकारी/कार्यालय को, आवेदन की प्राप्ति की ताख से यथाशीघ्र लेकिन 5 दिनों के भीतर स्थानांतरित कर सकेगा तथा इस बारे में आवेदक को भी सूचित करेगा।

3. आपसे अनुरोध है कि उक्त आवेदन को आर.टी.आई. ऑनलाईन पोर्टल में **तुरंत प्रविष्ट** करके आवेदक को पावती भेजी जाए एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियमों का पालन करते हुए उसपर निर्धारित समय में कार्यवाई की जाए ।

(कमलेश गाबा/Kamlesh Gauba)
ए.सी.पी.आई.ओ./ACPIO

संलग्न: FTS No. 63950

(M-VI)

श्री. अजय कुमार कदायान, (उप सचिव)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय

पी.आई. सैल/PI Cell U.O. No. 2/48 /2015-PI दिनांक/Dated 12.3.2015

Speed Post

Date : 02-03-2015

First Appeal under Sec 19 of RTI Act 2005

To,

Shri Rokhum Lalremruata
The Director,
Appellate Authority,
Ministry of Mines,
Shastri Bhawan, New Delhi

43250
10

विषय :– सूचना के अधिकार के तहत मेरा आवेदन दिनांक 21.01.2015 की प्रथम अपील बाबत्।

प्रसंग :– **Under Secretary** का पत्र क्रमांक 16.01.2014 - M - VI दिनांक 25.02.2015 (प्रति संलग्न)

महोदयजी,

मेरे द्वारा दिनांक 21.01.2015 को सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्रति संलग्न है, परन्तु आज दिनांक को मुझ प्रार्थी को प्रासंगिक पत्र में मेरे आवेदन पत्र में मांगी गई वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

Under Secretary का यह कहा जाना है कि मेरी मांगी गई सूचना "Beyond the Purview of the RTI Act 2005 है" सही नहीं होकर ऐसी प्रतीत होता है जैसे Under Secretary साहब सूचना प्रदान करने हेतु अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते है, तथा मुझ प्रार्थी को आप श्रीमान् के समक्ष अपील करने हेतु लिख देया।

अतः आप श्रीमान् से अनुरोध है कि मेरे पत्र दिनांक 21.01.2015 की चाही गई सम्पूर्ण सूचना बिन्दुवार अविलम्ब उपलब्ध कराई जावें।

भवदीय

Pankaj

पंकज अग्रवाल
प्रताप टॉकीज के सामने, भोपालगंज,
भीलवाड़ा (राज.) 311001

Speed Post

भारत सरकार /Government of India

खान मंत्रालय /Ministry of Mines

******

No. 16/1/2014-M-VI New Delhi, the 25 February, 2015

To

Shri Pankaj Aggarwal,
Opposite Pratap Tokage,
Bhilwara.
RAJASTHAN – 3110001.

Subject: Seeking information under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 21.01.2015 seeking clarification regarding Ordinance promulgated on 12.01.2015 in respect of mineral soapstone. In this regard, it is informed that interpretation of rules, justification, clarifications etc. are beyond the purview of the RTI Act, 2005.

2. In case you are not satisfied with the information provided, you may prefer an appeal before appellate authority Shri Rokhum Lalremruata, Director, Ministry of Mines, Shastri Bhavan, New Delhi within 30 days of the receipt of this letter.

Yours faithfully,

(Ajoy Kumar Kadian)
Under Secretary and CPIO
Phone No. 23383946
E-mail: ajay.kaidian@nic.in

Copy to :

PI cell w.r.t. U.O. No. 2/20/2015-PI dated 02.02.2015.

दिनांक 21.01.2015

खान सचिव महोदयजी,
खान मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय :- सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

महोदयजी

सूचना के अधिकार के तहत कृपा कर निम्न बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने का श्रम प्रदान करावें :-

1. The Mines And Minerals (Development and Regulation) Amandment Ordinance - 2015 जो लागु किया गया है वह सिर्फ First Schedule Minerals पर ही लागू होता है या Second Schedule Minerals जैसे SOAPSTONE, CHINA CLAY, QUARTZ, FELDSPAR पर भी लागू होता है ?
2. और यदि यह MMDRAO - 2015 SECOND SCHEDULE MINERALS पर भी लागू होता है तो कौन-कौन से नए Sections Second Schedule Minerals पर लागू होगें ?
3. क्या इस MMDRAO - 2015 के नए Section 10A (1) के तहत Second Schedule Minerals जैसे SOAPSTONE, CHINA CLAY के P.L. व M.L. Applications इस Ordinance 2015 के लागू होने से पूर्व के Ineligible कहलाऐगें ?
4. या इस नए Ordinance 2015 के लागू होने से पूर्व के Second Schedule Minerals के आवेदन पत्रों के अनुदान हेतु अग्रिम कार्यवाही कराई जा सकती है या नहीं ?
5. इस नए Ordinance 2015 के बिन्दु संख्या 22 पर यह स्पष्ट लिखा है "Amendment of First Schedule" तो क्या इस का मतलब यह है यह सारे नए Sections 8(1), 8A(1), 8(2), 10A, 10B(1), 10C(1), 11(1), 11B, 11C, 12A(1), 17A(2A) आदि सिर्फ और सिर्फ First Schedule Minerals के लिए ही न कि Second Schedule Minerals के लिए ?
6. यदि Second Schedule Minerals पर और कोई Guide Line जारी करी गई हो तो कृपा कर उसकी प्रति दिलाने का भी श्रम प्रदान करावें।

भवदीय

Pankaj

पंकज अग्रवाल
प्रताप टॉकीज के सामने, भोपालगंज,
भीलवाड़ा (राज.) 3110001

संलग्न -
पी.ओ. 29F 121892
वास्ते आवेदन शुल्क